अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशाषी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से सम्बन्धित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा करने के अलावा यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्व परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षो द्वारा कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु योग्य बनाने एवं साथ ही नीतियां एवं निर्देश बनाने, जो संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु आवश्यक है एवं जो अच्छे शासन में भागीदारी करते हैं, की प्रत्याशा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा उद्योग विभाग के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षाओं में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा का खाका

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते है, द्वारा नियंत्रित 17 आर्थिक क्षेत्र के विभागों एवं उनके स्वायत्तशापी निकायों की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 मे दी गयी है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	16,737	18,709	20,496
समाजिक सेवायें	17,895	21,928	25,293
आर्थिक सेवायें	10,220	12,744	17,408
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	21	273	265
योग	**44,873**	**53,654**	**63,462**
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	5,251	7,119	10,684
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	262	1,109	2,412
लोक ऋण की अदायगी	3,317	3,490	4,707
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,16,298	1,22,320	1,50,175
योग	**1,25,128**	**1,34,038**	**1,67,978**
कुल योग	**1,70,001**	**1,87,692**	**2,31,440**

स्त्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ

एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों, स्वायत्तशाषी निकायों, प्राधिकरण एवं राज्य निगमों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13[1],14[2],15[3],17[4],19[5] और 20[6] के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशाषी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती

1. (i)राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबन्धित राज्य के सभी लेनदेनो एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
2. (i)राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नही हो, की लेखापरीक्षा।
3. भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करता है कि उन शर्तो की पूर्ति कर ली गयी है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
4. भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
5. राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानसभा के द्वारा बनाये गये नियम के अधीन स्थापित निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा।
6. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तो एवं निबंधनों पर, जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच ठहरायी गयी हो।

है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते है। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षो से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही चयनित विभागों मे आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता, जो कि कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित करती है, को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय ई-शासन योजना तथा आयुक्तालय, उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षाऐं शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गयी है।

1.6.1.1 राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान कृषि और संबद्ध सेक्टरों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वृद्धि दर अर्जित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ की गई थी

कृषि विभाग के अभिलेखों की जांच में पता चला कि योजना, शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस् व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये बिना कार्यान्वित की गई थी। कई परियोजनाओं का परित्याग करना, निरस्त करना या प्रारम्भ नहीं करना, घटिया कार्यप्रणाली व बिना तैयारी के कार्य करने का सूचक है।

कार्यान्वयन एजेन्सीज को विशेष आवंटन के साथ निधियों के लिए अधिकृत नहीं करने तथा परियोजनावार लेखों का संधारण नही होने से कुछ परियोजनाओं में निधियों की उपलब्धता/आवश्यकता का आंकलन नहीं किया जा सका।

जमीनी स्तर पर योजना का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए संगठित कदम नहीं उठाना, निम्नस्तरीय मानव संसाधन प्रबन्धन का द्योतक है। किसानों की कम रूचि एवं कम मांग, गोदामों का अनुपयोगी रहना, पौधारोपण सामग्री का कम वितरण व स्टोरेज बिन्स के वितरण के लिये प्रावधित राशि को समर्पित करना, योजना को आरम्भ करने से पूर्व कार्यक्रमों की अपर्याप्त जानकारी के परिणामस्वरूप थे।

गैर सरकारी संगठन की नियुक्ति, उसकी वित्तीय स्थिति व कार्य करने की क्षमता जाने बिना करने के परिणामस्वरूप परियोजना का परित्याग करना पड़ा। मनोनीत एजेन्सी के अलावा अन्य एजेन्सियों द्वारा सिविल कार्यो को करने में निम्न स्तरीय अनुबन्ध प्रबन्धन होने तथा ठेकेदार को निधि जारी नहीं करने से कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित चार प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त नहीं हुई तथा नये व अभिनव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद राज्य सरकार, मानसून पर निर्भरता कम नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.1.2 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को से वायें प्रदान करने की निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में ई-शासन के क्षेत्र में कदम रखा। स्टेट डाटा सेन्टर के अलावा कोई भी घटक/परियोजना मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं की गयी। अनुचित वित्तीय योजना के कारण, राज्य सरकार 2005-12 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये उपलब्ध निधि का 26 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत् प्राप्त निधियों को निजी निक्षेप खाते में रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

नियोजन एवं क्रियान्वयन में निरूत्साही दृष्टिकोण के कारण राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना के कार्यान्वयन में आठ साल बर्बाद किये। प्रस्तावों के लिए अनुरोध को अन्तिम रूप देने में बार-बार परिवर्तन एवं कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की प्रबंधन एवं लेखों की एकीकृत प्रणाली को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ने पर अनिर्णय की स्थिति के परिणामस्वरूप वैधता अवधि की समाप्ति, पुनः निविदाकरण एवं लागत अभिवृद्धि हुई।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल नही नई सेवाओं को प्रस्तावों के लिए अनुरोध में शामिल करना भारत सरकार के अनुमोदन का उल्लंघन था। कार्यान्वयन एजेंसी को अन्तिम रूप देने में 15 माह के विलम्ब के कारण स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के क्रियान्वयन में देरी हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लक्षित संख्या में सामान्य सेवा केन्द्र निर्धारित अवधि के भीतर संचालित नहीं हुए थे। सामान्य सेवा केन्द्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की गई जिसके कारण कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

स्टेट ई-मिशन टीम में दीर्घ कालिक क्षमता का सृजन नहीं करने एवं परियोजना ई-मिशन टीम के कार्मिको की नियुक्ति नहीं करने से क्षमता निर्माण का सुदृढ़ीकरण प्रभावित हुआ।

इस प्रकार, विभाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना को लागू करने में विफल रहा है एवं पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के संबंध में पूर्ण विफलता थी जैसे कि कार्यान्वयन के 8 वर्षो के बाद भी केवल क्रमशः 12, 6 एवं 16 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य ही प्राप्त किये गये थे।

(अनुच्छेद 2.2)

1.6.1.3 आयुक्तालय उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षा

आयुक्तालय उद्योग की लेखापरीक्षा में, वित्तीय प्रबंधन तथा चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई कमजोरियां प्रकट हुई। बनाये गये संशोधित अनुमान सही नहीं थे, कार्य योजनाऐं यद्यपि तैयार की गई परन्तु राज्य की औद्योगिक नीति में निर्दिष्टानुसार लागू नही की गई। विभागीय नियमावली को 1983 के बाद से अद्यतन नही किया गया। जिला उद्योग केन्द्रों की आन्तरिक लेखापरीक्षा, निर्धारित अनुसार प्रतिवर्ष नहीं की गई। विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी की कार्यप्रणाली अप्रभावी थी।

विभाग द्वारा क्लस्टर विकास के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित करना सुनिश्चित नहीं किया गया जैसे कि कार्यक्रम का मध्यवर्ती/अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया गया। राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अन्तिम मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन का अनुमोदन किये बिना ही क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण प्रतिवेदन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना तथा आयुक्तालय द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण में उदासीनता, कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कमजोर था उदाहरणार्थ अयोग्य बुनकरों के आवेदनों को अग्रेषित करना पाया गया था।

आई सी आई सी आई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड् द्वारा स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं करने तथा बुनकरों के चिकित्सा दावों का देरी से भुगतान करने के प्रकरण ध्यान में आये। आई सी आई सी आई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होमम् की सूची अद्यतन नहीं की गई थी। ग्रामीण स्तर पर कोई हाट विकसित नहीं की गयी थी जिससे कि ग्रामीण दस्तकार बेहतर विपणन सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रहे। भारत सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बिना व्यय किया गया था। मेलों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अनुमोदित कैलेंडर का पालन नहीं किया गया था।

राज्य औद्योगिक नीति के गठन के 15 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद खाली लवणीय भूमि का आवंटन खेती के लिए नहीं किया गया था। अन्तिम पट्टा किराया निर्धारित नहीं किया तथा भूमि के अनाधिकृत कब्जे एवं पट्टा किराये की वसूली न करने के प्रकरण भी देखे गये। नमक मजदूर आवास योजना में आधारभूत बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके परिणामस्वरूप आवास खाली रहे तथा योजना में निहित उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सके।

एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं होने के बावजूद राज्य योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी गई निधियों की वसूली नहीं की गई। अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाणीकरण शुल्क, परामर्श शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क एवं केलीब्रेशन शुल्क की अधिक/अनियमित पुनर्भरण की अनुमति दी गई। प्रति वर्ष प्रत्येक बाट व माप के मुहरबद्ध के लिए कोई व्यवस्थित तन्त्र विकसित नहीं किया गया था। संशोधित नियमों में बांट एवं माप के उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु प्रावधान नहीं था जिसके अभाव में बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के आंकड़े रखने का कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता पर असर डाला था। अनुपालना लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अध्याय III में प्रतिवेदित किया गया है। मुख्य आक्षेप निम्न श्रेणियों से संबन्धित है।

1.6.2.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नही किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं नियंन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। लेखापरीक्षा जांच में नियमों और विनियमों की गैर-अनुपालना के ₹ 15.41 करोड़ के उदाहरण शामिल है जैसा कि नीचे वर्णित है:

कृषि विभाग की 'कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क' नामक योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग में परियोजना के कार्यान्वियन तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास में उदासीन दृष्टिकोण, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब, विभाग की अनिर्णयता की स्थिति के कारण परियोजना के कार्यान्वियन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विलम्ब, अनुदानों का अनुपयोजन, कम्प्यूटरों की समय से पहले खरीद, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन पर परिहार्य व्यय, ''किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों'' की स्थापना नहीं करना, अपर्याप्त क्षमता निर्माण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का अभाव था।

(अनुच्छेद 3.1.1)

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके नगर निगम क्षेत्र, कोटा में सड़कों के निर्माण पर ₹ 2.75 करोड़ की ग्रामीण सड़क निधि का अनाधिकृत उपयोग।

(अनुच्छेद 3.1.2)

रेलवे ट्रेक पर 'सी' श्रेणी के मानव युक्त रेलवे क्रोसिंग[7] के निर्माण हेतु रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़।

(अनुच्छेद 3.1.3)

7. मानव नियंत्रित पूरी चौड़ाई की लिफ्ट बेरियर/यांत्रिक पूरी चौड़ाई की स्विंगिंग बेरियर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों व ग्रामीण सड़क नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करके 0.75 मीटर अधिक चौड़ाई की सड़क के प्रस्ताव देने, अनुमोदन करने एवं निर्माण करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय।

(अनुच्छेद 3.1.4)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से पूर्व अनुमोदन के बिना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बचतों की राशि ₹ 9.74 करोड़ का समान पैकेज में अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग।

(अनुच्छेद 3.1.5)

1.6.2.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय करने की औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग-दर्शित होनी चाहिए। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यय करने में वही सतर्कता बरतेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जॉच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 18.89 करोड़ के प्रकरण पाए गये जैसा कि नीचे वर्णित है:

राष्ट्रीय राज्य मार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 और 22/0 के बीच सतह सुधार पर ₹ 1.81 करोड़ का अन्यायोचित व्यय।

(अनुच्छेद 3.2.1)

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय एवं भण्डारण सुविधा की उपयुक्त आयोजना के अभाव में, लहसुन को नीचे गिरे मूल्यों पर निस्तारण के लिए विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.2.2)

आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किए बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत के संयत्र का कम उपयोग।

(अनुच्छेद 3.2.3)

₹ 1.31 करोड़ की लागत से स्थापित नए बायपास प्रोटीन संयत्र पर निधियां निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रही।

(अनुच्छेद 3.2.4)

कृषि एवं बागवानी विभाग को वितरण करने के लिए रोग रहित पौधे विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना पर किया गया ₹ 1.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.5)

1.6.2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमिततायें

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष होती रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृति होना न केवल कार्यपालक के गम्भीर नही होने का सूचक है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी द्योतक है। यह नियमों/विनियमों की अनुपालना से जानबूझकर बचने को प्रोत्साहित करती है एवं परिणामत: प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा की जांच में सतत्/व्यापक अनियमितता का एक दृष्टांत निम्न विवरणानुसार पाया गया:

वन भूमि के अन्दर से सड़क बनाने के प्रस्ताव देने तथा कार्यादेश देने से सड़क कार्य अभी भी अपूर्ण रहा तथा ₹ 84.26 लाख का व्यय होने के बावजूद भी मन्दिर को सड़क से नहीं जोड़ा जा सका।

(अनुच्छेद 3.3.1)

1.6.2.4 क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास एवं उन्नयन, सार्वजनिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बाध्य है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये, जिनमें अनिर्णयता, प्रशासकीय दृष्टिचूक या विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक संपतियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गयी निधियां, अनुपयोगी/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आये शासन की विफलता/दृष्टिचूक के राशि ₹ 4.03 करोड़ के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

वर्मीकल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, बायोएजेन्ट परियोजनाओं तथा कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन पर अनुभवजन्य अध्ययन के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों पर किया गया ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.1)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला में जैविककारक के गुणन में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.2)

अलवर-राजगढ़-महुआ-हिन्डौन-करौली-मण्डरेल सड़क (हिन्डौन बाईपास) के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण पर ब्याज तथा प्रोरेटा चार्जेज का ₹ 73 लाख का परिहार्य भुगतान।

(अनुच्छेद 3.4.3)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रतिउत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर तीन सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे (अगस्त 1969)।

तद्नुसार, प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं उनका तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जावें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें।

प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किये गये प्रारूप अनुच्छेदों एवं प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, पर एक्शन टेकन नोटस्, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोटस् की समीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2014 तक संबंधित विभाग से एक एक्शन टेकन नोट[8] बकाया था।

8. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2011-12 का अनुच्छेद 2.1